जनजातीय विवाह
Tribal Marriage

विवाह एक सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था है जो कुछ मान्यता प्राप्त नियमों के अन्तर्गत स्त्री-पुरुष को यौनिक सन्तुष्टि के अवसर प्रदान करने के साथ ही बच्चों के पालन पोषण तथा नियमित सामाजिक जीवन के लिए एक समुचित पर्यावरण की सुविधा प्रदान करती है। मानव की जैविकीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विवाह का महत्व इतना अधिक है कि संसार में कोई भी समाज इस संस्था के बिना स्वयं को संगठित नहीं रख सकता। यह संस्था यूरोप और अमरीका जैसे विकसित समाजों के लिए जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक ध्रुव प्रदेशों तथा दूर-दूर तक फैले हुए द्वीपों में रहने वाली जनजातियों के लिए भी है। इस स्थिति में यह आवश्यक है कि हम विवाह जैसी संस्था को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझकर इससे सम्बन्धित विभिन्न स्वरूपों तथा रीति-रिवाजों को स्पष्ट करने का प्रयत्न करें।

साधारण रूप से कहा जा सकता है कि विवाह एक सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था है जो एक स्त्री-पुरुष को कुछ विशेष नियमों के अन्तर्गत यौन सम्बन्ध स्थापित करने की अनुमति देती है तथा परिवार में व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का निर्धारण करती है।

→ वेस्टमार्क के अनुसार → विवाह को एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह सम्बन्ध कहकर परिभाषित किया जा सकता है जो प्रथा अथवा कानून के द्वारा मान्य होता है और जिसमें विवाह से सम्बन्धित दोनों पक्षों और उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का समावेश होता है।

⇒ मजूमदार तथा मदान → विवाह संस्था का सम्बन्ध एक विशेष सामाजिक स्वीकृति से है जो साधारणतया कानूनी अथवा धार्मिक संस्कार के रूप में होती है और जो

विषम लिंग के दो व्यक्तियों को यौनिक सम्बन्ध स्थापित करने तथा उनसे सम्बन्धित सामाजिक और आर्थिक सम्बन्धों का उन्हें अधिकार देती है।

इस परिभाषा से विवाह की तीन मुख्य विशेषताएँ स्पष्ट होती है — (i) विवाह की स्वीकृति धार्मिक भी हो सकती है और कानूनी (ii) विवाह का प्रमुख उद्देश्य दो विषम लिंग के व्यक्तियों को यौन सम्बन्धों की अनुमति प्रदान करना है, (iii) इस संस्था से अनेक सामाजिक और आर्थिक तत्व भी जुड़े हुए हैं क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति को एक विशेष सामाजिक स्थिति मिलने के साथ ही उसके सम्पत्ति-अधिकारों का भी निर्धारण होता है।

वास्तविकता यह है कि विवाह एक जटिल संस्था है जिसे एक या दो परिभाषाओं के द्वारा ही स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इस दृष्टिकोण से वेस्टरमार्क ने विवाह की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है:—

(i) विवाह शब्द का प्रयोग साधारणतया एक सामाजिक संस्था के रूप में किया जा सकता है।

(ii) यह संस्था दो विषम लिंग के व्यक्तियों को यौन-सम्बन्धों का अधिकार अवश्य देती है लेकिन साथ ही उनसे यह आशा भी करती है कि वह कुछ नियमों का पालन करते हुए इस अधिकार का उपयोग करेंगे।

(iii) विवाह केवल यौन-सम्बन्धों पर ही आधारित नहीं है बल्कि इसे एक आर्थिक संस्था भी कहा जा सकता है। यह इस दृष्टिकोण से कि विवाह का प्रभाव पति और पत्नी के सम्पत्ति-अधिकारों पर भी पड़ता है।

(iv) विवाह का कार्य एक नवजात शिशु की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करना भी है। इस कार्य का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक व्यवस्था में अवैध रूप से जन्म लेने वाले बच्चों को उतना सम्मान नहीं मिल

पाता जितना कि वैध्य सन्तानों को प्राप्त होता है।

(v) विवाह केवल तभी मान्य होता है जब दोनो पक्षो के बीच विवाह सम्बन्धो की स्थापना किसी प्रथा अथवा कानून के अनुसार हो।

(vi) विभिन्न समाजों में विवाह की पद्धतियां भिन्न-भिन्न हो सकती है। इनका कारण विभिन्न समाजों की प्रथाओं, सांस्कृतिक विशेषताओं तथा कानूनों में भिन्नता होना है।

⇒ विवाह के उद्देश्य अथवा प्रकार्य (Objectives or Function of Marriage) → विवाह मानव समाज की एक सर्वव्यापी विशेषता है लेकिन विभिन्न समाजों की भिन्न सामाजिक मूल्यों और सांस्कृति के कारण विवाह के उद्देश्य में भी कुछ भिन्नता पायी जाती है। इस आधार पर विवाह के 4 प्रमुख उद्देश्यो का उल्लेख किया जा सकता है—

(i) यौन इच्छाओं की पूर्ति

(ii) परिवार की स्थापना

(iii) आर्थिक सहयोग की स्थापना

(iv) बच्चों के पालन-पोषण की समुचित व्यवस्था।

यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विवाह के यह चारों उद्देश्य समान रूप से महत्वपूर्ण हैं लेकिन विभिन्न समाजों में इनकी प्राथमिकता के क्रम में अन्तर पाया जाता है। जैसे-जटिल और भौतिकवादी संस्कृति से सम्बन्धित समाजों में यौन सम्बन्ध तथा बच्चो के जन्म को कानूनी रूप प्रदान करना प्रमुख उद्देश्य है वहीं सरल और आदिम समाजों में विवाह का उद्देश्य यौन सम्बन्धों के अधिकार ही नही बल्कि दो परिवारों अथवा दो समूहों के सम्बन्धों को ~~अधिकारों को प्राप्त करना~~ दृढ़ बनाना होता है। इस दृष्टिकोण से भी यौन-सम्बन्धों के अधिकारों को प्राप्त करना विवाह का सर्वप्रमुख उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है।

अनेक आदिवासी समाजों में बहुपत्नि विवाह का प्रचलन है जिसके कारण यह जानना बहुत कठिन हो जाता है

कि बच्चे का वास्तविक पिता कौन है? ऐसी स्थिति में बच्चे के पितृत्व का निर्धारण कुछ विशेष सामाजिक प्रथाओं तथा अनुष्ठानों द्वारा किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चों को वैध रूप देना भी विवाह का प्रमुख उद्देश्य नहीं हो सकता क्योंकि कुछ प्रथाओं, संस्कारों, अनुष्ठानों की सहायता से भी बच्चे को वैध रूप दिया जा सकता है। इस स्थिति में केवल परिवार की स्थापना करना ही विवाह का सर्वप्रमुख उद्देश्य रह जाता है। यह सच है कि व्यक्ति विवाह के बिना भी अपनी यौन इच्छा को पूरा कर सकता है लेकिन यह कार्य न तो नैतिक है और न ही इससे व्यक्तित्व का समुचित विकास सम्भव है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्तित्व का स्वतन्त्र रूप से विकास करना तथा व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा प्रदान करना भी विवाह का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है।

मरडॉक के अनुसार दोनों पक्षों के बीच आर्थिक सहयोग एवं सन्तानों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था प्रमुख है। आदिम समाजों के सन्दर्भ में विवाह का आर्थिक उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण है कि इसके अभाव में विवाह से सम्बन्धित विभिन्न रीति-रिवाजों और कर्तव्यों को नहीं समझा जा सकता। सभ्य समाजों में विवाह के द्वारा व्यक्ति को अपने धार्मिक दायित्वों से भी परिचित कराया जाता है लेकिन अधिकांश जनजातियों में विवाह का धार्मिक उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इसके पश्चात भी विवाह के विभिन्न उद्देश्यों से इतना अवश्य स्पष्ट होता है कि यह उद्देश्य मूल रूप से सामाजिक-सांस्कृतिक है, जैविकीय तथा मनोरंजनात्मक नहीं।